21. हि

पत्रावली कोटा कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को
सुना। फैसला बाद रुपये किये जाने से पाबन्द किया
जाता है कि मौके पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखें। पत्रावली को एक शुमार होकर गवाह
से काम के बाद बाकी फैसला बाद हो।